

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-5.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, समस्त नगरपालिकाओं तथा नगरपालिक निगमों को उनकी अधिकारिता के भीतर खुले में शौच की प्रथा को दूर करने करने लिए 06-12-2015 तक पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने के लिए सशक्त करती है.

No. F-12-32-2013-4-XXV-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, empowers all Municipalities and all Municipal Corporations to construct adequate number of sanitary community latrines, by 06-12-2015 to eliminate the practice of open defecation in their jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.